Tel/ Fax:- 01386-263144, 262322
e-mail:dfo_soillansdowne@rediffmail.com

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,लैन्सडौन।

पत्रांकः– 966 / 12-1 दिनांक, लैन्सडौन, 07/11 ,2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0
सिंचाई खण्ड़, कोटद्वार।

विषयः– प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत जनपद पौडी गढवाल में मस्टखाल से सीलाडान्डा मोटर मार्ग के सैद्वान्तिक स्वीकृत में वर्णित क्षतिपूरक वृक्षारोपण एन0पी0वी0 आदि के धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करवाये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी / यू0सी0पी / 06 / 15 / 2019 / एफ0सी0 / 1517 दिंनाक 09.10..2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्दीय क्षेत्र) 25 सुभाष रोड, देहरादून के पत्रांक 8बी / यू0सी0पी / 06 / 15 / 2019 / एफ0सी0 / 1517 दिंनाक 09.10.2019 द्वारा उक्त मोटर मार्ग हेतु सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है, के क्रम में शर्त सं0 01 से 08 तक की कार्यवाही आपके स्तर से की जानी है।

1. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा शर्त सं0 01 में अधिरोपित शर्त प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पेड स्थानों पर वृक्षारोपण एंव 10 वर्षो का रखरखाव वित्तिय वर्ष 2019–20 के लिए 2000 वृक्षों का रोपण किया जायेगा जिसके लिए आपको (306531**x**4.550) 1394716.05 या 1394716 (तेरह लाख चौरानवें हजार सात सौ सोलह) रूपये की धनराशि आपको जमा करानी होगी।
2. प्रयोक्त अभिकरण द्वारा शर्त सं0 02 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि (2.275**x** 845000) 1922375 (उन्नीस लाख बाईस हजार तीन सौ पिचहत्तर मात्र) रूपये आपके द्वारा जमा की जायेगी।
3. शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी, इस आशय का बचनबद्वता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र आपके द्वारा आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।
4. उक्त समस्त धनराशि वन विभाग के कैम्पा मद अर्न्तगत प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना का प्राधिकरण के तर्थध निकाय के लेखा सं0 एस0बी0–25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स फेज–1 लोधी रोड नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की कलर प्रमाणित छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैक डॉफ्ट / चैक की प्रमाणित छायाप्रति का विवरण देना होगा।
5. सड़क निर्माण के पश्चात जहां जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारो तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में strip plantation की जायेगा। इस आशय की बचन बद्वता का प्रमाण पत्र भी आपके द्वारा प्रेषित किया जाना है।

भवदीय,

(इन्द्रेश उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन।

Scanned by CamScanner

पत्रांकः– 766/12-1 दिंनाकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एंव नोडल अधिकारी,वन सरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(इन्द्रेश उपाध्याय)
प्रभागीय वनाधिकारी
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लैन्सडौन।

Scanned by CamScanner